अपर/प्रमुख सचिव
14-8-14

उत्तर प्रदेश शासन

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2

संख्या–548/43–2–2014–15/2(2)/2014

लखनऊ : दिनांक 14 अगस्त, 2014

विज्ञप्ति

विषय:– **उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त के एक–एक पद पर नियुक्ति।**

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 (अधिनियम) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने एवं उसे सौंपे गये कार्यो के निष्पादन हेतु किया है। यह लखनऊ में स्थित है। आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं 10 से अनधिक सूचना आयुक्त होंगे। राज्य सूचना आयोग की वर्तमान संरचना www.upsic.up.nic.in पर देखी जा सकती है। राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्तों की नियुक्ति, हटाया जाना, सेवा शर्ते तथा पद की अवधि, सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अध्याय–4 में उल्लिखित है। राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त/सूचना आयुक्त की शक्तियाँ एवं दायित्व अधिनियम के अध्याय–5 में दिये गये है।

2– राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त के एक–एक पद का चयन/नियुक्तियाँ किया जाना प्रस्तावित है। अधिनियम में प्राविधान है कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाजसेवा, प्रबन्ध, पत्रकारिता, जनसम्पर्क माध्यम या प्रशासन तथा शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव वाले समाज में प्रख्यात व्यक्ति होंगे।

3– इसके अतिरिक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त यथास्थिति संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधान मंडल का सदस्य नही होगा, या कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा या किसी राजनीतिक दल से सम्बद्व नहीं होगा या कोई कारोबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति से पूर्व संबंधित व्यक्ति को लाभ का पद, कोई कारोबार या व्यापार छोडना/बन्द करना होगा।

4– राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, 05 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वोत्तर हो, पद धारण करेगा। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को वेतन एवं भत्ते किसी निर्वाचन

आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त को वेतन एवं भत्ते राज्य सरकार के मुख्य सचिव के समान देय होंगे, बशर्ते कि इस अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार उनके द्वारा लिये गये पेंशन/सेवा निवृत्ति लाभ (यदि कोई हो), को समायोजित कर लिया जायेगा।

5— सूंचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए मापदण्ड पूरा करने वाले इच्छुक व्यक्ति अपना विवरण संलग्न—प्रपत्र में संयुक्त निदेशक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उत्तर प्रदेश, दरबारी लाल शर्मा भवन, लखनऊ—226001 को दिनांक 10 सितम्बर, 2014 तक (सांय 6.00 बजे तक) पंजीकृत डाक से अथवा कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे सांय 6.00 बजे तक दस्ती पहुँचाकर प्राप्ति रसीद ले सकते हैं। दिनांक 10 सितम्बर, 2014 के बाद प्राप्त होने वाला कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। राज्य या केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य संगठन के अन्तर्गत सेवारत व्यक्ति अपना प्रार्थना पत्र समुचित माध्यम से दिनांक 10 सितम्बर, 2014 तक भिजवायें।

6— प्रार्थना पत्र के साथ अभ्यर्थी को स्वप्रमाणित शपथ—पत्र (संलग्न) देना अनिवार्य है कि जो भी सूचनाएं एंव प्रमाण पत्र वह प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर रहे हैं, वह सत्य है।

7— प्रार्थना पत्र के साथ प्रत्येक अभ्यर्थी रू0 2000/— (रूपये दो हजार मात्र) का आवेदन शुल्क भारतीय स्टेट बैंक से ड्राफ्ट के रूप में जो "प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ" के पक्ष में देय होगा, संलग्न किया जायेगा।

8— प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, उ0प्र0शासन की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त सभी वैध आवेदन पत्रों की स्कीनिंग की जायेगी। तत्पश्चात राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त का चयन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अध्याय—4 की धारा—15(3) के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश पर महामहिम राज्यपाल द्वारा की जाएगी।

9— इससे संबंधित सूचनाएं विभागीय वेबसाइट www.adminreform.up.nic.in पर देखी जा सकती है।

संलग्क—
आवेदन/स्वप्रमाणित घोषणा पत्र का प्रारूप।

14/8/14
(परशुराम प्रसाद)
विशेष सचिव
प्रशासनिक सुधार विभाग।

14.8.14

SIC

स्व–प्रमाणित घोषणा पत्र

मै.................................पुत्र / पुत्री / पत्नी / श्री / श्रीमती............................ उम्र............वर्ष.................व्यवसाय.................निवासी....................................... प्रमाणित करते हुए घोषणा करता / करती हूँ कि आवेदन पत्र में दिये गये विवरण / तथ्य मेरी व्यक्तिगत जानकारी एवं विश्वास में शुद्व एवं सत्य है। मैंने उसमें कुछ भी छुपाया नहीं है। मैं मिथ्या विवरणों / तथ्यों को देने के परिणामों से भली–भाँति अवगत हूँ। यदि आवेदन पत्र में दिये गये कोई विवरण / तथ्य मिथ्या पाये जाते है, तो मै, मेरे विरूद्व भा0द0वि0, 1960 की धारा–199 व 200 एवं प्रभावी किसी अन्य विधि के अंतर्गत अभियोजन एवं दण्ड के लिये, स्वयं उत्तरदायी होऊँगा / होऊँगी।

मैं यह भी घोषणा करता / करती हूँ कि यदि मेरे द्वारा की गयी दस्तादेजों का स्व–प्रमाणीकरण या घोषणा गलत पायी जाती है या मेरे द्वारा गलत दस्तावेजों का स्व–प्रमाणीकरण किया जाता / गया है, तो मेरे द्वारा प्राप्त की गयी सभी प्रकार की सुविधायें तत्काल वापस ले ली जाऐं।

स्थान........................ आवेदक / आवेदिका के हस्ताक्षर..................................

दिनांक .... आवेदक / आवेदिका का नाम..

S/C 14-8-14

14/8/14

उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त के पद पर विचारार्थ भेजे जाने वाले विवरण संबंधी प्रपत्र

नवीनतम पासपोर्ट आकार का अभिप्रमाणित फोटो

1— नाम/पिता का नाम—
2— जन्मतिथि—
3— वर्तमान पता—
4— संपर्क संख्या—
   (क) दूरभाष (एसटीडी कोड सहित)
   (ख) मोबाइल
   (ग) फैक्स
5— ई—मेल पता—
6— शैक्षिक अर्हताएं—
7— विशेषज्ञता क्षेत्र—
8— वर्तमान व्यवसाय/नौकरी—
9— उपलब्धियां—
10— कार्य अनुभव (संक्षेप में)—

घोषणा

मैं एतदद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त लिखित शैक्षिक एवं अन्य अर्हता सम्बन्धी सूचनायें मेरी जानकारी में पूर्ण एवं सत्य हैं। यदि कोई दी गई सूचना सही नहीं पाई जाती है तो अभ्यर्थन निरस्त समझा जायेगा।

तिथि   हस्ताक्षर

स्थान   नाम

SIC 14.8.2014

14/08/14